



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14367

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3837 वर्ष 2025

शिल्पा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

निर्मल कुमार पांडेय, परबिंद कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, गौरव कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री परबिंद कुमार तिवारी, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार शुक्ला एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 215 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 103(2), 238, 326(छ), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. (BNS), थाना-कप्तानगंज, जिला- बस्ती में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. मुखबिर के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी पत्नी और छोटी पुत्री सौम्या के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया था। मुखबिर के पिता (मृतक) की संपत्ति के हस्तांतरण का वाद चल रहा था, इसी क्रम में दिनांक 3/4.12.2024 की रात्रि को आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने मां-बेटी की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के इरादे से उन्हें आग लगा दी।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) विलंबित है, क्योंकि यह 4.12.2024 की रात को दर्ज कराई गई थी। आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। वह एक महिला है और संपत्ति के उक्त हस्तांतरण में उसका कोई हित नहीं था। संपत्ति, यदि कोई होती, तो परिवार के अन्य सदस्यों को हस्तांतरित की जाती। उसे केवल सह-अभियुक्तों के साथ उसके संबंधों के कारण अभियुक्त बनाया गया है। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 07.12.2024 से जेल में निरुद्ध है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि यह एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा रात में मां-बेटी की हत्या कर दी गई थी और परिवार के किसी भी सदस्य ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने की परवाह नहीं की, अतः आवेदक जमानत की हकदार नहीं है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा मां-बेटी की हत्या की गई है, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ। जमानत आवेदन गुण-दोष रहित पाया जाता है और तदनुसार खारिज किया जाता है।
8. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यथाशीघ्र शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 20, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।